डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 जनवरी 2001—पौष 20, शक 1922

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2000

अधिसूचना

क्रमांक 544/सा. प्र. वि./2000.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 186/2000 दिनांक 12-11-2000 में आंशिक संशोधन करते हुए सचिव/प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति के स्थान पर डॉ. टी. के. वैष्णव, अनुसंधान अधिकारी, आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर को छत्तीसगढ़ प्रदेश की छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. एस. छतवाल, सचिव.

रायपुर, दिनांक 08 जनवरी 2001

अधिसूचना

क्रमांक 91/2001/सा. प्र. वि.—श्री पी. आर. उरांव (पी.-86 रा. प्र. से. वरिष्ठ श्रेणी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर की सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग से वापस लेते हुए अब उनकी सेवाएं कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के पद

पर नियुक्ति हेतु उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2001

आदेश

क्रमांक 97/सा. प्र. वि./2001.—राज्य शासन कु. ओ. यू. टोप्पो, रा. प्र. से. (आर.आर.-84) अपर कलेक्टर, जिला कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर (पेंड्रा) जिला बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.